झारखण्ड सरकार
वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

अधिसूचना

संचिका संख्या–पर्या० प्रदू०(3)–47/2007– 2346 व०प०, राँची दिनांक– 04/06/18

Fly Ash के उपयोग एवं पर्यावरण की सुरक्षा की दृष्टि से उसके उचित निरतारण के लिए पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना का०आ०–763 (ई), नई दिल्ली दिनांक–14.09.1999 जारी की गई थी। इस अधिसूचना में का०आ०–979(ई) दिनांक–27.08.2003, का०आ०–2804(ई) दिनांक–03.11.2009 एवं का०आ०–254(ई) दिनांक–25.01.2016 द्वारा संशोधन किए गए। उक्त अधिसूचनाओं के कड़े अनुपालन के लिए भारत सरकार द्वारा समय–समय पर निदेश दिए गए हैं। Hon'ble Apex Court ने भी इन अधिसूचनाओं के कड़े अनुपालन पर जोर दिया है।

2. भारत सरकार की उक्त अधिसूचनाओं में प्रावधानित कार्रवाई में निम्नलिखित कार्रवाई शामिल है:–

(i) कोयला या लिगनाईट आधारित थर्मल पावर प्लांट के 300 कि०मी० के त्रिज्या में होनेवाले भवन निर्माण के सभी निर्माण कार्यों में सिर्फ फ्लाई ऐश आधारित उत्पादों का उपयोग किया जाय।

(ii) किसी अभिकरण, व्यक्ति या संगठन के द्वारा थर्मल पावर प्लांट के 300 कि०मी० त्रिज्या में होनेवाले पथ निर्माण कार्य या fly over embankment के reclamation and compaction में मिट्टी का उपयोग न किया जाय बल्कि सिर्फ फ्लाई ऐश का प्रयोग किया जाय।

(iii) फ्लाई ऐश आधारित उत्पादों, पथ निर्माण योजनाओं और कृषि कार्यों के उपयोग हेतु फ्लाई ऐश का परिवहन थर्मल पावर प्लांट द्वारा 100 कि०मी० तक अपने खर्च से किया जाएगा। 100 कि०मी० से 300 कि०मी० तक की दूरी होने पर प्रयोक्ता अभिकरण एवं थर्मल पावर प्लांट द्वारा फ्लाई ऐश परिवहन राशि का वहन बराबर–बराबर किया जाय।

(iv) सभी निर्माण एजेंसियों (केन्द्रीय/राज्य/स्थानीय सरकार और निजी/सार्वजनिक क्षेत्र) द्वारा निर्माण अथवा सहमति देने या अनुमोदित करने में इन नियमों के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा और संबंधित प्रदूषण नियंत्रण पर्षद या प्रदूषण नियंत्रण समिति को वार्षिक प्रतिवेदन जमा करेगा।

(v) फ्लाई ऐश आधारित उत्पादों के उपयोग को बढ़ावा देने प्रोत्साहित करने एवं परिवहन को कम करने के लिए थर्मल पावर प्लांट अपने परिसर के भीतर या आस–पास के इलाकों में फ्लाई ऐश आधारित उत्पादों के निर्माण से संबंधित उद्योगों की स्थापना की व्यवस्था करेगा।

2681
11/6/18

झारखण्ड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद, राँची
प्राप्तांक
दि० 07/6
प्राप्तकर्ता का ह०

Scanned by CamScanner

(vi) विभिन्न निर्माण परियोजनाओं को मंजूरी देनेवाले सभी राज्य प्राधिकार यह सुनिश्चित करेंगे थर्मल पावर प्लांट और निर्माण एजेंसी या ठेकेदारों के बीच फ्लाई ऐश आधारित उत्पादों उपयोग को बढ़ावा देने के लिए MoU या अन्य कोई व्यवस्था की जाय।

(vii) राज्य प्राधिकार फ्लाई ऐश आधारित ईंटों के उपयोग को बाध्यकारी करने के लिए 10 लाख या उससे अधिक जनसंख्या वाले शहरों के लिए Building Bye-laws में संशोधन करेंगे।

(viii) संबंधित प्राधिकार फ्लाई ऐश आधारित ईंटों या उत्पादों का उपयोग सभी सरकारी योजनाओं या कार्यक्रमों यथा–मनरेगा, स्वच्छ भारत अभियान, शहरी और ग्रामीण आवास योजना जहाँ built up area 1000 वर्गफीट से अधिक है और आधारभूत संरचना (including buildings in designated industrial estates or parks or Special Economic Zone) में सुनिश्चित करेंगे।

3. उक्त अधिसूचनाओं का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु जिला स्तर पर निम्नलिखित समिति गठित की जाती है :–

1.	उपायुक्त	–	अध्यक्ष
2.	वन प्रमण्डल पदाधिकारी	–	सदस्य
3.	क्षेत्रीय पदाधिकारी, प्रदूषण नियंत्रण पर्षद	–	सदस्य सचिव
4.	जिले में कार्यरत थर्मल पावर प्लॉन्ट के प्रतिनिधि	–	सदस्य
5.	कार्यपालक अभियन्ता, पथ निर्माण विभाग, भवन निर्माण विभाग, ग्रामीण विकास विभाग	–	सदस्य
6.	जिला खनन पदाधिकारी	–	सदस्य

4. समिति Fly Ash के व्यापक उपयोग हेतु थर्मल पावर प्लॉन्ट और प्रयोक्ता अभिकरण के बीच समन्वय स्थापित करते हुए भारत सरकार के निदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करेगी।

5. समिति Fly Ash के उपयोग को बढ़ावा देने हेतु प्रत्येक दो माह में एक बैठक करेगी एवं प्रतिवेदन वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, झारखण्ड, राँची को समर्पित करेगी।

ह0/–
(ए0 के0 रस्तोगी)
विशेष सचिव
वण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग,
झारखण्ड, राँची।

Scanned by CamScanner

ज्ञापांक– पर्या0 प्रदू0(3)–47 / 2007– 2346 राँची दिनांक– 04/06/18

प्रतिलिपिः–सभी उपायुक्त, झारखण्ड / सभी वन प्रमण्डल पदाधिकारी / सभी क्षेत्रीय पदाधिकारी, झारखण्ड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद / सदस्य सचिव, झारखण्ड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद, राँची / जिले में कार्यरत थर्मल पावर प्लॉन्ट के प्रतिनिधि, झारखण्ड / कार्यपालक अभियन्ता पथ निर्माण विभाग, भवन निर्माण विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड / सभी जिला खनन पदाधिकारी, झारखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

4/6/18

(सुनील कुमार)
सरकार के उप सचिव
वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग
झारखण्ड, राँची

Scanned by CamScanner